कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय, घुमका, जिला–राजनांदगाँव (छ.ग.)

web site- www.rablcollege.ac.in Email : govt.collegeghumka@gmail.com Phone – 07744-296940

क्रमांक– 236/अतिथि व्याख्याता/2025–26 घुमका, दिनांक 26/07/2025

अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु विज्ञापन

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्रमांक 289/01/आउशि/राज.स्था./2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23.07.2025 एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3–54/स्था./2020/38–1 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20/06/2024 के आदेशानुसार अतिथि व्याख्याता नीति–2024 के मापदंडो के अनुसार इस महाविद्यालय के रिक्त सहायक प्राध्यापक (प्राणीशास्त्र) पद के विरूद्ध अध्यापन हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनाक 04.08.2025 को सायं 05.00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते प्रस्तुत कर कार्यालय से पावती प्राप्त कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। सम्पूर्ण योग्यता तथा चयन प्रक्रिया **"अतिथि व्याख्याता नीति–2024"** के परिपालन में किया जाएगा।

रिक्त पद का विवरण			
क्रं.	विषय	सहायक प्राध्यापक	रिमार्क
1	प्राणीशास्त्र	1	

नोट :– विस्तृत विज्ञापन महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाईट (https://rablcollege.ac.in/) में अपलोड किया गया है। जिससे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(डॉ. सत्यदेव त्रिपाठी)
प्राचार्य
शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

शर्ते :–

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण–पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल/पी–एच. डी. एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. दिनांक 04.08.2025 तक कार्यालयीन समय 5.00 बजे तक डाक के माध्याम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है। प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेंगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र में मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आईडी आवयश्य अंकित करें।
3. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 08.08.2025 को महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाईट https://rablcollege.ac.in पर प्रकाशित किया जावेगा।
5. गुणानुकम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 11.08.2025 तक होगी।
6. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 12.08.2025 तक महाविद्यालय की नोटिस बोर्ड एवं वेबसाईट https://rablcollege.ac.in तथा सूचना पटल में किया जायेगा।
7. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
8. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यार्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है. तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
10. संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।
11. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :–

क्रमांक	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	400 /–	300 /–
2	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600 /– (41,600/– प्रतिमाह अधिकतम)	1200 /– (30,000/– प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500 /–	350 /–
4	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000 /– (50,000/– प्रतिमाह अधिकतम)	1400 /– (30,500/– प्रतिमाह अधिकतम)
(स) दैनिक मानदेय			
5	विवरण	अतिथि ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी	अतिथि ग्रंथपाल सहायक/अतिथि क्रीडा सहायक
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि	1600 /– (40,000/– प्रतिमाह अधिकतम)	1200 /– (30,000/– प्रतिमाह अधिकतम)

12. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता कार्यालय, शासकीय रानी अवंती वाई लोधी महाविद्यालय, घुमका, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) पिन कोड–491444 एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रुप से लिखे।
13. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।
14. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
15. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
16. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियाँ, युवा–उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी एवं महाविद्यालय से संबंधित सभी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
17. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

(डॉ. सत्यदेव त्रिपाठी)
प्राचार्य
शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)